सं. एफ 1–86/75–डेस्क 'ख'

भारत सरकार

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली–1, 11 फरवरी,1976

सेवा में,

सचिव,

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड,

संसद मार्ग,

नई दिल्ली–110001

विषय– केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सेवा) नियमावली–1976

महोदय,

मुझे बोर्ड के कर्मचारियों के मसौदा सेवा नियम के संबंध में दिनांक 26 जून, 1975 के बोर्ड के अर्धसरकारी पत्र संख्या एफ 4–9/73–प्रशा. के संबंध में किए गए पत्राचार में भारत सरकार का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सेवा) नियमावली 1976 की संलग्न प्रति के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों के लिए इन नियमों को अपनाया जाए। यह अनुरोध किया जाता है कि इन नियमों को बोर्ड के कर्मचारियों के लिए तत्काल अपनाया जाए और प्रकाशित किया जाए, चूंकि ये नियम तत्काल प्रभावी रूप से लागू हैं।

2. इन नियमों के नियम 11 के अनुसार स्थापना अनुसूची इस नियमावली के अनुसार संशोधित की जाए और अनुमोदन के लिए इस विभाग को शीघ्र भेजी जाए।

3. ये नियम दिनांक 31.1.1976 के उनके यू.ओ.सं. 23(5)/एस डब्ल्यू एल/75 द्वारा वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किए गए।

भवदीय,

(बी.बी.सहाय)
निदेशक

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सेवा) नियम 1976

अध्याय–1

भूमिका

1.क) इन नियमों का नाम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सेवा) नियम 1976 है।

ख) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :–

क) जो व्यक्ति बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं।

ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाएं भारत सरकार से या अन्य संस्थाओं से उधार ली गई हैं जब तक कि ऐसे व्यक्ति इन नियमों का विकल्प न दें और उधार देने वाले प्राधिकारी को कोई आपत्ति न हो।

ग) जिन व्यक्तियों पर ऐसी विशेष संविदाएं लागू होती हैं जिनमें सेवा की विशेष शर्तें दी गई हों।

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अध्याय में परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया गया है :–

क) बोर्ड के अधीन किसी पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्राय उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर नियुक्त करने के लिए सक्षम है।

ख) बोर्ड का अभिप्राय है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड।

ग) कार्यकारिणी का अभिप्राय है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 10 के अधीन गठित समिति।

घ) अध्यक्ष का अभिप्राय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से है।

ड.) सचिव का अभिप्राय केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सचिव से है।

च) कर्मचारी का अभिप्राय बोर्ड के कार्य के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से है और नियम 2 के अधीन आने वाला व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है।

घ) सरकार का अभिप्राय समाज कल्याण मंत्रालय के समाज कल्याण विभाग में भारत सरकार से है जिसके सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में यह बोर्ड कार्य करता है।

ज) कोई शब्द या अभिव्यक्ति जिसे इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है उसका वही अर्थ होगा जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए और समय–समय पर संशोधित किए गए संगत नियमों में परिभाषित है।

अध्याय–II

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

4. भारत सरकार द्वारा बनाए गए और समय–समय पर संशोधित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम,1953 यथावश्यक परिवर्तन सहित बोर्ड पर लागू होंगे, परंतु किसी संदेह के मामले में सरकार की राय अंतिम होगी और बोर्ड पर बाध्यकर होगी।

5. उक्त नियम के प्रयोजन के लिए कार्यालयाध्यक्ष का अभिप्राय है, बोर्ड के सचिव और विभागाध्यक्ष का अभिप्राय है बोर्ड का अध्यक्ष।

6. उक्त नियमों में किसी भी बात के होते हुए बोर्ड का सचिव और अध्यक्ष उन शक्तियों का प्रयोग जारी रखेगें जो संस्था के विद्यमान अंतर्नियमों के अधीन उन्हें प्राप्त हैं।

अध्याय–III

वेतन एवं भत्ते

7. क) बोर्ड के कर्मचारी मूल नियमों और अनुपूरक नियमों में निर्दिष्ट वेतन का आहरण करेंगे जैसा कि भारत सरकार की सिविल सेवाओं के लिए लागू है।

ख) बोर्ड के कर्मचारी ऐसा वेतनमान आहरित करेंगे जैसा कि नियम 11 में संदर्भित अनुसूची में निर्दिष्ट है। वेतन के आहरण और संवितरण के प्रयोजन के लिए बोर्ड के सचिव कार्यालयाध्यक्ष होगा। परंतु बोर्ड, सरकार की पूर्व सहमति के बिना विशेष वेतन की मंजूरी नहीं दे सकता।

ग) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमान भारत सरकार के समान श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतनमान के बराबर लाने के लिए उन्हें संशोधित कर सकता है।

8. क) बोर्ड के कर्मचारी ऐसे किसी भत्ते का आहरण कर सकते हैं जो निर्दिष्ट दरों पर भारत सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जा रहे हैं और जो समय–समय पर उनके द्वारा आहरित किए जाते हैं।

ख) भत्ते मंजूर करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड का सचिव कार्यालयाध्यक्ष होगा और आहरण और संवितरण अधिकारी होगा।

अग्रिम

9. बोर्ड के कर्मचारी निधियों के उपलब्ध होने पर ऐसे अग्रिमों का आहरण कर सकते हैं जैसा कि समय–समय पर भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य है।

10. बोर्ड के मामले में अग्रिम के आहरण के प्रयोजन के लिए समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्त नियम 1963 और गृह निर्माण अग्रिम नियमों के संगत प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय–IV

भर्ती और पदोन्नति

11. क) बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थापना सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा।

ख) स्थापना अनुसूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित ब्योरे होंगे अर्थातः–

1. पद का नाम
2. पदों की संख्या
3. पदों का वर्गीकरण
4. वेतनमान
5. क्या प्रवरण पद है या अप्रवरण पद है।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।
7. पद के लिए अपेक्षित अर्हता
8. पदोन्नति से संबंधित मामलों में अनिवार्य अर्हताएं
9. परिवीक्षा अवधि, आदि

ग) अनुसूची सरकार की पूर्व सहमति से समय–समय पर संशोधित की जाए।

12. बोर्ड की संस्था के अंतर्नियम और ज्ञापन की संगतता में निम्नलिखित नियुक्ति प्राधिकारी होगा–

क) उन पदों के संबंध में जिनका अधिकतम वेतनमान 800 रू. से अधिक हो परंतु 1000/–रू. से अधिक नहीं हो। कार्यकारिणी नियुक्त प्राधिकारी होगी।

ख)	उन पदों के संबंध में जिनका अधिकतम वेतनमान 500 रू. से अधिक हो पंरतु 800 रू. से अधिक नहीं हो, अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

ग)	उन पदों के संबंध में जिनका अधिकतम वेतनमान 500 रू. से अधिक नहीं हो सचिव नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

13.	नियम 11 में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति पर भर्ती के प्रयोजन के लिए बोर्ड एक भर्ती व पदोन्नति समिति गठित करेगा, जिसमें भारत सरकार के स्थायी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी शामिल होगा।

क)	बोर्ड सरकार के अनुमोदन से इस भर्ती व पदोन्नति समिति की कार्यप्रणाली को निर्दिष्ट करते हुए नियम बनाएगा।

14.	क)	भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित मूल नियमों और अनुपूरक नियमों के प्रावधान बोर्ड के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ख)	छुट्टी यात्रा रियायत, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता और समयोपरि भत्ता जो भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं वे अलग–अलग नियमों के संबंध में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

ग)	वर्तमान में विद्यमान सरकार के कार्यकारी आदेशों के अधीन समय–समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि लाभ बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

घ)	बोर्ड के कर्मचारियों को उपदान सरकार द्वारा बनाए गए अलग नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगा।

15.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित मामले 1 अभ्यर्थी पर समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गए भारत सरकार के आदेश लागू होंगे।

अध्याय–V

विविध

क) अनुशासन और आचरण से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली–1965 जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है लागू होंगी।

ख) उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक और अपील प्राधिकारी नियम 1 में संदर्भित अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगे।

17. बोर्ड और इसकी समितियों के सभी आदेश और निर्णय सचिव या ऐसे प्राधिकारी जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

18. बोर्ड ऐसे अवकाश करेगा जो दिल्ली में स्थित भारत सरकार के सचिवालय द्वारा किए जाएंगे और दिल्ली से बाहर के स्थानों में बोर्ड के कर्मचारी ऐसे अवकाश करेंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी उन स्थानों पर करते हैं।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन नियमों में दिए गए किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

20. सभी प्रावधान नियम, विनियम आदेश आदि इन नियमों के लागू होने की तारीख से रद्द हो जाएंगे। परंतु जब पुराने नियम लागू थे उस समय जिन मामलों का निर्णय किया गया था उन्हें अप्रभावी नहीं माना जाएगा।

21. सेवा में सभी मामले जो इन नियमों के अधीन नहीं आते वे सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर भारत सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा पर लागू तद्नुरूपी नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।